171

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1490 /VII-1/2014/146-ख/2010
देहरादून : दिनांक 19 नवम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में स्वयं की निजी नाप भूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई में निकलने वाली मिट्टी/पत्थर को खनन संक्रियाओं तथा पर्यावरणीय अनुमति से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में निम्नानुसार वर्तमान प्राविधान के साथ अतिरिक्त प्राविधान प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क0सं0	वर्तमान प्राविधान	वर्तमान प्राविधान के साथ एतद्द्वारा अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	ईंट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी खनन की प्रकिया को सरलीकृत कर विकास कार्यों को सुचारू रूप से गतिशील रखने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-3 में स्पष्टीकरण तथा नियम-21-1 के उपरान्त उप नियम 1क पर्यावरणीय स्वीकृति की बाध्यता समाप्त किये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् जोड़ा गया है :- (1) **स्पष्टीकरण** -ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की किया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। (2) (1-क) नियम-3 में किसी भी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ईंट भट्टा मालिकों तथा सड़क निर्माण संस्था को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा।	ईंट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी खनन की प्रकिया को सरलीकृत कर विकास कार्यों को सुचारू रूप से गतिशील रखने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-3 में स्पष्टीकरण तथा नियम-21-1 के उपरान्त उप नियम 1क पर्यावरणीय स्वीकृति की बाध्यता समाप्त किये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् जोड़ा गया है :- (1) **स्पष्टीकरण** -ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की किया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। (2) (1-क) नियम-3 में किसी भी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ईंट भट्टा मालिकों तथा सड़क निर्माण संस्था को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। **अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्राविधान** उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप भूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नाप भूमि के प्लाट या अपने ही

		किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई0आई0ए0 की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रक्रिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संक्रियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु संख्या–2 के प्रस्तर–7 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः1490 (1)/VII-1/2014/146–ख/2010, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।